



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
26 / 2022	2022 / 73	13.10.2022	02.2023

तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- अपीलार्थी

:- बनाम :-

1. श्री नारायण पुत्र लक्ष्मण मीणा निवासी मालीखेडा तहसील प्रतापगढ़
2. श्रीमती नीलु धोबी पत्नि श्री घनश्याम धोबी निवासी मानपुरा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
3. श्रीमती मंजु पत्नि श्री अमृत लाल दसलानिया जाति धोबी निवासी मानपुरा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

:- रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण नम्बर 646 दिनांक 17.01.2022

उपस्थिति :-

1. श्री पैरोकार सरकार
2. एक तरफा कार्यवाही

:- आदेश :-

दिनांक :- 18.01.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 646 मौजा बनेडिया खुर्द ऑन लाईन प्रविष्टि दिनांक 17.01.2022 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बनेडिया खुर्द की आराजी संख्या 239/493 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म खेड़ा-॥ भूमि खातेदार श्री नारायण पिता लक्ष्मण मीणा निवासी मालीखेडा प्रतापगढ़ के नाम दर्ज रिकार्ड रहते हुए उक्त भूमि का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कार्यालय हाजा के किसी आदेश से नहीं किया गया था परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 और उसके प्रतिनिधी व्यक्ति श्री नितेश पुत्र अशोक कुमार जैन (नलवाया) द्वारा कार्यालय तहसीलदार प्रतापगढ़ के समक्ष दिनांक 11.01.2022 को एक प्रतिलिपी आवेदन मय फर्जी संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति प्रार्थी के पक्ष में जारीशुदा होना बताते हुए प्रस्तुत की गई जिसे कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों द्वारा संलग्न छाया प्रति को उचित मानते हुए सहवन से उक्त फर्जी दस्तावेज की नकल प्रमाणित प्रति कार्यालय हाजा से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपी आवेदन के अनुसार प्राप्त कर ली गई तथा उक्त नकल प्रमाणित प्रति के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 एवं उसके प्रतिनिधी द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष उक्त फर्जी संपरिवर्तन आदेश भिशल संख्या 207/14 निर्णित दिनांक 19.05.2014 डिस्पेच क्रमांक 610-13 दिनांक 19.05.2014 के आधार पर रेस्पोंडेन्ट

संख्या-1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी संख्या 239/493 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि रकबा को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के दौरान कृषि से अकृषि जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 से दर्ज करा लिया तथा बाद नामान्तरकरण कृषि से अकृषि के आधार पर उक्त भूमि रकबा क्षेत्र को रेस्पोडेन्ट संख्या -2 एवं 3 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से हस्तान्तरित भी कर दी गई।

उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं उसके प्रतिनिधी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त फर्जी संपरिवर्तन आदेश की नकल प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु विविध आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 की संपरिवर्तन दर्ज निस्तारित पत्रावली पंजिकाओं तथा डिस्पेच पंजिकाओं का निरीक्षण किये जाने पर संज्ञान में आया कि संपरिवर्तन मिशाल संख्या 207/2014 आदेश क्रमांक 610-13 दिनांक 19.05.2014 से संदर्भित कोई पत्रावली रिकार्ड पर दर्ज निस्तारित नहीं होना पाया गया है। जिसके आधार स्पष्ट हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं उसके प्रतिनिधी द्वारा मिथ्या एवं भ्रामक दस्तावेज की कार्यालय कार्मिकों को धोखे में रखते हुए अन्यथा संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए जिस भूमि का कभी कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हुआ ही नहीं उक्त कृषि भूमि को कृषि से जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 के माध्यम से अकृषि आवासीय किस्म दर्ज करा लिया गया। इस संबंध में कार्यालय कार्मिकों से प्राप्त सम्पूर्ण घटना क्रम की जानकारी अनुसार आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी पुलिस थाना प्रतापगढ़ में भी दर्ज कराई गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 प्रविष्ट दिनांक 17.01.2022 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण कि ओर से लगातार कोई उपस्थित नहीं जिसके चलते रेस्पोडेन्टगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अपील अपीलार्थी एक तरफा सुनी गई।

दौराने बहस अपीलार्थी परोकार सरकार द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 मिथ्या एवं भ्रामक दस्तावेज फर्जी संपरिवर्तन आदेश की नकल प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए छल कपट पूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम दर्ज कृषि भूमि को अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन करा लिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य उक्त भूमि को आवासीय रूप में बेचना रहा है और रेस्पोडेन्ट संख्या-1 द्वारा जरिये प्रतिनिधि उक्त भूमि का आगामी अन्तरण भी कर दिया गया है जो न्याय एवं नियमों के विपरीत ही नहीं बल्कि राजकीय कार्यालय के कार्मिकों एवं रिकार्ड के साथ छेड़ छाड़ करते हुए षडयंत्र किया गया है। अतः विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 को न्यायहित में निरस्त किये जाने हेतु अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों जिसमें मुख्य रूप से विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 एवं नकल प्रमाणित प्रति विवादित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 19.05.2014 तथा वर्ष 2013-14 की दर्ज संपरिवर्तन दर्ज निस्तारित पंजीका एवं डिस्पेच पंजीकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत अपील विरुद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 के संबंध में रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अपील मेमों में वर्णित कथनों अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं उसके प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपी आवेदन के क्रम में

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

रिकार्ड न अकल कय जान हेतु राजस्व/तहसील/2022/1266 दिनांक 13.01.2022 को लिखा गया था। जिसके आधार पर पटवार दस्तावेजों के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या

कार्यालय कार्मिकों द्वारा बिना किसी समुचित जांच कार्यवाही के अन्यथा विवादित संपरिवर्तन आदेश प्रमाणित प्रति जारी की गई जिसके आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि की किस्म अकृषि आवासीय जरिये विवादित नामान्तरकरण से किया जाना दर्शित होता है। क्योंकि किसी भी शून्य दस्तावेज के आधार पर निष्पादित कोई भी कार्यवाही या परिणाम प्रारम्भतः शून्य प्रकृति के माने जाते हैं। यद्यपि उक्त संपरिवर्तन आदेश वास्तविक स्थिति में उपलब्ध भी होता तब भी वर्तमान प्रचलित राजस्व विधियों एवं ग्रामीण क्षेत्र संपरिवर्तन नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 एवं 2016 तथा 2021 में वर्णित उप नियम 14 के अनुसार किसी भी संपरिवर्तन आदेश में वर्णित शर्त संख्या 11(2) के अनुसार संपरिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से उसकी उपयोगिता हेतु विहित अधिकतम अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उक्त संपरिवर्तन की वैधता अवधि स्वतः समाप्त हो जाती है ऐसी स्थिति में 2014 के किसी संपरिवर्तन आदेश की वैधता अवधि समाप्त हो जाने उपरान्त वर्ष 2022 के दौरान ऐसे संपरिवर्तन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आदेश अधीन अमल दरामद (नामान्तरकरण) की कार्यवाही किया जाना भी अनुचित रहा है। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकारोक्त प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 646 प्रविष्ट दिनांक 17.01.2022 एवं स्वीकृत दिनांक 01.02.2022 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार (भू.अ) प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम बनेडिया खुर्द की आराजी संख्या 239/493 रकबा 0.11 हैक्टर की दर्ज किस्म "आबादी" को पूनः पूर्ववत् स्थिति में दर्ज करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।




(ज. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़